भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 479
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा

479. सुश्री देबाश्री चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार द्वारा छात्रों को राजभाषा हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों तथा अन्य न्यायिक प्राधिकारियों की कानूनी कार्यवाहियों को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : उच्चतर शिक्षा विभाग ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 ने अपने पैरा 20.4 में कहा है कि "विधिक शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की आवश्यकता है, साथ ही इस क्षेत्र से संबंधित बेहतरीन प्रक्रियाओं, कार्यप्रणालियों और नयी तकनीकों को अपनाया जाएगा जिससे कि सभी के लिए और सही समय पर न्याय को सुनिश्चित किया जा सके । साथ ही इसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों से संवर्धित एवं उनके आलोक में बनाया जाना चाहिए और लोकतंत्र, कानून के शासन और मानवाधिकारों के माध्यम से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विधिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के साथ-साथ साक्ष्य-आधारित तरीके से, विधिक विचार प्रक्रिया के इतिहास, न्याय के सिद्धांतों, न्यायशास्त्र के अभ्यास और अन्य संबंधित विषयों को उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो । विधिक शिक्षा की पेशकश करने वाले राज्य संस्थानों को भविष्य के वकीलों और न्यायाधीशों के लिए द्विभाषी शिक्षा की पेशकश पर विचार करना चाहिए जिसमें एक भाषा अंग्रेजी और दूसरी उस राज्य की भाषा हो जिसमें यह विधिक शिक्षा संस्था स्थित है ।"।

यह मंत्रालय विधिक शिक्षा में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ाने तथा उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायिकों की विधिक कार्यवाहियां करने पर जोर दे रहा है । हम 6500 शब्दों की विधिक शब्दावली का डिजिटलीकरण कर रहे हैं और

उन्हें जनता के लिए उपलब्ध करा रहे हैं तथा भारतीय भाषाओं के लिए विधिक शब्दावली निर्माण के क्राउड-सोर्सिंग के लिए एक आनलाइन मंच तैयार कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय विधिक दस्तावेजों में बारंबार प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के पहचान करने की प्रक्रिया में है और सामान्य जड़ों से शब्दों को गढ़कर एक सकर्मक शब्दावली/सामान्य मूल शब्दावली बनाने की प्रक्रिया में है, जो सभी भारतीय भाषाओं द्वारा स्वीकार होगी, ताकि विधिक दस्तावेजों का एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद एक जैसा हो सके । यह मंत्रालय न्यायालयों और विधिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए दस वर्षीय परिदृश्य कार्ययोजना तैयार करने के लिए विधि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, बार और न्यायपालिका के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने की योजना बना रहा है । इसके अतिरिक्त, विधिक शिक्षा में हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करने के लिए बी सी आई द्वारा माननीय (सेवानिवृत्त) मुख्य न्यायमूर्ति श्री बोबड़े की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है ।

गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि इस संबंध में सशक्त संवैधानिक और विधिक उपबंध पहले से स्थापित हैं । संविधान के अनुच्छेद 348 और राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अनुसार, न्यायालय की कार्यवाहियों और निर्णयों आदि में हिंदी और अन्य भाषाओं (भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट भाषाएं) के वैकल्पिक उपयोग का उपबंध है । उपरोक्त उल्लिखित उपबंधों के अधीन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में हिंदी का वैकल्पिक उपयोग क्रमश: वर्ष 1950, 1969, 1971 और 1972 में प्राधिकृत किया गया था ।

****